प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072
E-Mail-elcpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 107 / याता0 76 पी0सी0 दिनांक 01.02.2020

सेवा में,

(1) अधीक्षण अभियन्ता.....वृत्त,लो0नि0वि0,
देहरादून / टिहरी / पौड़ी / उत्तरकाशी /
गोपेश्वर / हरिद्वार / पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा /
नैनीताल / हल्द्वानी / उधमसिंहनगर।

(2) अधीक्षण अभियन्ता,.....वृत्त,
राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0,
देहरादून / हल्द्वानी।

(3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58 / 37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून।

(4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सड़क संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

(5) अधीक्षण अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
अल्मोड़ा / श्रीनगर / गोपेश्वर /
मसूरी / जौलीकोट / पिथौरागढ़।

विषय :– **दिनांक 29.01.2020 को आयोजित लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड देहरादून कार्यालय में मार्गों पर दुर्घटनाओं को कम किये जाने हेतु सम्पन्न समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–350 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (25) / 2020 दिनांक 01.02.2020.**

लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय में दिनांक 29.01.2020 को आयोजित दुर्घटनाओं को कम किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मार्गों पर रात्रि में दिखाई न देने वाले ऑब्जेक्स जैसे– विद्युत पॉल, टेलिफोन पॉल, विद्युत ट्रांसफार्मर्स के खम्भे, मजार, मार्गों पर पड़ने वाले नैरो ब्रिज, नगर निगम / निकायों के डस्ट बॉक्सेज, मार्गों के डाइवर्जन्स, मार्गों पर सीढ़ियाँ, बाह्य मोड़ों पर स्थापित क्रैश बैरियर्स एवं पैरापिट्स तथा उपरोक्त प्रकार के अन्य ऑब्जेक्स जो रात्रि में वाहन चालकों को दिखाई न देने के कारण होने वाले सम्भावित दुर्घटनाओं के बचाव हेतु स्थलीय आवश्यकताओं के अनुरूप रेट्रो रिफलेक्टिव टेप, हेजर्ड रिफलेक्टिव टेप आदि लगाये जायें।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त कार्यवाही तत्काल किये जायें। यदि धन की आवश्यकता है, तो स्थलीय चिन्हीकरण करते हुए डी0पी0आर0, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी प्रकोष्ठ) के माध्यम से तत्काल प्रेषित किये जायें।

उपरोक्त के साथ–साथ यह भी अवगत कराना है, कि मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आगामी सप्ताह में प्रस्तावित है। अतः नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी) / अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड का पत्रांक 41 / 76 याता0 दिनांक 10.01.2020 (संलग्न) का अवलोकन करते हुए, मासिक आख्या तत्काल ई0–मेल आई0डी0– **hodroadsafety@gmail.com** पर प्रेषित किये जायें, ताकि मासिक सूचना मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति को प्रेषित किया जा सकें, एवं मा0 परिवहन मंत्री की प्रस्तावित बैठक हेतु सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जा सकें।

संलग्नक :– 1– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–350 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (25) / 2020 दिनांक 01.02.2020 की प्रति।
2– मा0 परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2019 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त की प्रति।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को संज्ञानार्थ / सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0,...../रा0मार्ग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारियों को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु तत्काल निर्देशित किये जायें।
4– मुख्य अभियन्ता स्तर–II पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून / अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारियों को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु तत्काल निर्देशित किये जायें।
5– नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी) / अधीक्षण अभियन्ता, 10वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

कृते प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072
E-Mail-hodroadsafety@gmail.com
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 104 / 76 वाता0 / 2020 दिनांकः 31 / 01 / 2020

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी),
उत्तराखण्ड।

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति का पत्रांक–29 / सी0ओ0आर0एस / 2014 / (वॉल.3) दि0 28.10.2019.
2– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक–3599 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (03) / 2019 दिनांक 14.11.2019.

महोदय,

दिनांक 29.01.2020 को अध्यक्ष लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन किये जाने के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक में अपेक्षित बिन्दुओं के सापेक्ष अद्यतन आख्या निम्नवत् है।

माननीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति को पूर्व प्रेषित पत्र / आख्या क्रमशः दिनांक 15.07.2019 एवं 18.07.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लगाये गये प्रेक्षण आख्या एवं निर्देश (मा0स0 का पत्र संख्या–29 / सी0ओ0आर0एस / 2014 / (वॉल.3) दि0 28.10.2019) के सापेक्ष बिन्दुवार अनुपालन आख्या की अद्यतन स्थिति निम्नवत् प्रेषित है :–

Sl. No.	ISSUES	OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE	COMPLIANCE REPORTS
(i)	Need for coordinated action by all stakeholder Departments	The Committee notes that 85.4%(370 out of 445) fatalities occurred in five districts during Jan-June,2019 and desires that the State should set up an effective operational mechanism at the district level in these five districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital and Tehri, and ensure that a coordinated effort is made by all stakeholder Departments/agencies to reduce road accidents and falalities. The mechanism set up at the district level should be intimated to the committee.	उत्तराखण्ड के अधीन मार्गों पर चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों एवं चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार किये जाने हेतु सभी निर्माणदायी संस्थाओं को इस कार्यालय के पत्रांक–1608 / 76वाता0 (क) / 2019 दि0 25.11.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। प्राथमिकता के तौर पर अत्यन्त दुर्घटना से आच्छादित जनपदों जैसे– उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं टिहरी के मार्गों को सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्ष 2020 तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है।
		COMMITTEE 'S OBSERVATIONS	
(ii)	Lead Agency	The committee points out that Hon'ble Supreme Court had, on 30.11.2017, ordered that all States/Uts should set up a lead agency by 31 st january 2018 as detailed by the Committee in its letter dated 24th novermber 2016. The Committee directs that the State should immediately comply with the Orders of the Hon'ble Supreme Court under intimation to the Committee.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
	State road safety Council	The number of meetings held by the council in 2019 should be intimated to the committee.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।

(iii)	Coordination between Lead Agency and the NHAI	The Committee emphasizes the need for close coordination between the Lead Agency, State Nodal Departments and the NHAI and directs that following action should be taken. a) NHAI should always depute a senior officer to attend the State Road Safety Council meetings.NHAI should also ensure that its representative regularly attends the District Road Safety Council meetings. b) Lead Agency should bring to the notice of Chairman (NHAI) all issues pertaining to NHAI which remain unresolved through the State and District Road Safety Council mechanism. c) Issues pertaining to NHAI which remain unresolved even after being referred to Chairman (NHAI) should be brought to the notice of the committee.	a) एनएचएआई को निर्देशित किया गया है। b) लोनिविवि से अपेक्षित नहीं है। c) लोनिविवि से अपेक्षित नहीं है।
		Additional directions	
iv,v. vi,			लोनिविवि से अपेक्षित नहीं है।

vii	Highway Patrol	The Committee notes that the State has City Patrol Units in 4 districts and Hill Patrol Units in 8 districts and that Highway Patrol has not been established. The Committee Notes that fatality on National and State Highways together accounted for 81% (NHs-62% & SHs-19%) of total fatalities in 2017 and that 6 districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun,Hardwar,Nainital,Tehri and Uttarkashi accounted for 69.5% of total fatalities in 2018 and directs that the State should take following action in respect of these 6 districts: a) Identify all vulnerable stretches on NHs & SHs and Ors and immediately ensure patrolling on those stretches by district police branches.	a). उत्तराखण्ड के मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 1592 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें 588 स्थलों का सुधार किया गया है, तथा अवशेष स्थलों का सुधारीकरण का लक्ष्य वर्ष 2020 निर्धारित किया गया है। जनपदवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

Sl No	Name of Agency	No. of Spots	No. of rectified Spots	Remaining Spots	Remarks
1	PWD	1157	399	758	Tender under process-126 Rectification required by **ukpcl**-01 DPR preparation under process-581 Work under progress -47 DPR sent to Zonal-CE -03
2	NH	336	154	182	Tender under process-11 DPR preparation under process-132 Work under progress - 39
3	NHAI	50	35	15	Land acquisation under process-01 Rectification required by petrol pump owner-01 Tender under process-02 Work under progess-02 Directed to Contractor-01
4	BRO	46	0	46	Work required for rectification-46
5	THDC	3	0	3	Work required for rectification-03
	Total	**1592**	**588**	**1004**	Tender under process-139 DPR preparation under process-713 Work under progress -96 Rectification required by **ukpcl**-01 DPR sent to Zonal-CE -03 Land acquisation under process-01 Rectification required by petrol pump owner-01 Directed to Contractor-01 Work required for rectification-49

For Year 2019-20, Rs. 493.07 Lac. issued to concerned divn. (PWD,NH PWD) for Rectification of 139 Vulnerable locataions. Vide Enc letter No. 112/54 budget/ road/bridge/maintenance) dated 09/12/2019.

		(b) Explore the possibility of establishing a working arrangement/mechanism for utilizing patrolling vehicles, cranes and ambulances available with NHAI or its concessionaire for enforcement and prevention of violation of traffic law violations on NHs.	b) एनएचएआई के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जिस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उस पर एम्बुलेन्स, क्रेन एवं पेट्रोलिंग वाहन की व्यवस्था कन्सेसनेयर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्गों पर तद्नुसार व्यवस्था प्रदान की जायेगी।

viii	Street lights on NHs SHs and MDRs	The Committee observes that often accidents happened on NHs and SHs in rural areas were there is no street light particularly near inhabited areas. The Committee directs that the road owning agencies should install street lights on NHs, SHs and MDRs at vulnerable rural road segments particularly near inhabited areas and keep them lit/illuminated during night time and ensure patrolling for prevention of traffice law violations to reduce night time road accidents and fatalities on these stretches.	चूंकि मार्गों पर स्ट्रीट लाईट्स व्यवस्था में विद्युत खपत के दायित्वों का भुगतान व इनके रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता होती है। अतः मार्गों के शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय संस्थाओं द्वारा स्ट्रीट लाईट्स की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर दुर्घटना सम्भावित मार्गों में स्ट्रीट लाईट्स लगाये जाने हेतु समस्त ग्राम पंचायतों (Local Bodies) की सहभागिता लिया जाना उचित होगा।
ix,x ,xi			लो०नि०वि० से अपेक्षित नहीं है।
xii	Taffic Calming Measures	The Committee notes that the State has rectified 556 junctions out of identified 1564 junctions (PWD-915,PWD (NH)-479,NHAI-110 AND NHIDCL(BRO-60) and that the remaining 1008 junctions will be rectified by 2020. The Committee directs that Lead Agency should take following action.	कुछ मार्गों की डुप्लीकेसी होने के कारण जंक्शनों की संख्या त्रुटिवश 1564 दर्शायी गई थी। जिसे स्थल पर सत्यापन के दौरान संशोधित कर लिया गया है, एवं संशोधित जंक्शनों की संख्या–1440 मात्र है, जिसमें 534 जंक्शनों पर ट्रैफिक कालिंग मैजर्स स्थापित कर दिये गये है। अवशेष जंक्शनों का सुधार किये जाने का लक्ष्य वर्ष 2020 निर्धारित कर लिया गया है। जनपदवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

S.No	Name of Agency	No. of identified Junctions	No. of rectified Junctions	Remaining Junctions	Remarks
1	PWD	956	376	580	According to the action plan remaining 580 junctions will be improved by 2020, subjected to availability of fund.
2	NH	314	123	191	According to the action plan these remaining 191junctions will be improved by 2020, subjected to availability of fund.
3	NHAI	110	35	75	According to the action plan these remaining 75 junctions will be improved by 2020.
4	NHIDCL/BRO	60	-	60	-
Total		**1440**	**534**	**906**	-

नोट– कुछ मार्गों की डुप्लीकेसी होने के कारण जंक्शनों की संख्या त्रुटिवश–1564 दर्शायी गयी थी, जिसे स्थल पर निरीक्षण के दौरान संशोधित कर लिया गया है, एवं संशोधित कुल जंक्शनों की सं0–1440 मात्र है, जिसके विरूद्ध 534 पर ट्रैफिक कालिंग मेजर्स स्थापित कर दिये गये है।

		a) Verify whether all junctions where lower hierarchy roads join higher hierarchy roads have been identified by all road owning agencies including Village Roads meeting with MDRs/SHs/NHs. b) Monitor and ensure that road owning agencies adhere to the targets set by them for completion of traffic calming measures. In case the road owning agencies fail to rectify these 1008 junctions by 2020, the Lead Agency should bring it to the notice of the Committee. c) Monitor the 556 rectified junctions to check the efficacy of rectification.	a) उपरोक्तानुसार। b)1440-534=906 अर्थात अवशेष 906 जंक्शनों के सुधार हेतु सभी निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। C) कुछ मार्गों की दुचीकेसी होने के कारण सुधार किये गये जंक्शनों की संख्या त्रुटिवश 556 दर्शायी गई थी। जिसे स्थल पर सत्यापन के दौरान संशोधित कर लिया गया है, एवं संशोधित जंक्शनों की संख्या-534 मात्र है, सुधार किये गये 534 जंक्शनों की एफिकेसी सम्बन्धित मॉनिटरिंग का कार्य लीड एजेन्सी(रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है।

xiii	Crash Barriers on hilly roads, near water bodies and other vulnerable locations	The Committee notes that crash barriers have been installed on 1311 Kms out of 3340.47 Kms where crash barriers are required. The Committee directs that the road owning agencies should install crash barriers on the remaining 2029 Kms (PWD-1582.47 Kms,PWD(NH)-311.7 Kms, NHAI-14.95 Kms and BRO-120Kms) by 2020. The Committee directs the Lead Agency should take following action : a)	लोनिविवि– उत्तराखण्ड के अधीन एसएच, एमडीआर एवं ओडीआर श्रेणी के वर्तमान में कुल 5345 कि0मी0 मार्गों के सापेक्ष कुल 2040.10 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने हेतु सत्यापन किया गया। जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2019 तक 1021.63 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित कर दिये गये है। अवशेष 1018.47 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर वर्ष 2020 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। जनपदवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

S.N.	District	Category of road	Name of Agency	Road Length (Km)	Length of road in which Crash Barriers required (KM)	Length of road in which Crash Barriers has been installed (KM)	Remaining road length (KM)	Remark
1	Dehradun	SH	PWD	259.93	66.50	67.57	-1.07	
2	Haridwar	SH	PWD	180.01	6.00	5.00	1.00	
3	Gopeshwar	SH	PWD	170.7	76.00	88.47	-12.47	
4	Rudraprayag	SH	PWD	218.6				
5	Uttarkashi	SH	PWD	232.62	63.70	22.00	41.70	
6	Tehri	SH	PWD	453.71	209.35	121.00	88.35	
7	Pauri	SH	PWD	859.57	71.00	32.00	39.00	
8	Pithoragrah	SH	PWD	239.57	200.15	68.50	131.65	
9	Champawat	SH	PWD	273.92				
10	Bageshwar	SH	PWD	218.64	28.00	16.00	12.00	
11	Almora	SH	PWD	684.48	250.50	95.00	155.50	
12	Nainital	SH	PWD	528.89	122.00	27.94	94.06	
13	U.S. Nagar	SH	PWD	196.27	3.00	1.00	2.00	
				4516.91	**1096.20**	**544.48**	**551.72**	

1	Dehradun	MDR	PWD	342.96	48.85	14.50	34.35	
2	Haridwar	MDR	PWD	74.58	0.00	0.00	0.00	
3	Gopeshwar	MDR	PWD	213.54	63.20	74.00	-10.80	
4	Rudraprayag	MDR	PWD	82.75				
5	Uttarkashi	MDR	PWD	232.60	99.00	49.00	50.00	
6	Tehri	MDR	PWD	352.27	155.00	73.00	82.00	
7	Pauri	MDR	PWD	261.05	0.00	0.00	0.00	
8	Pithoragrah	MDR	PWD	143.96	12.92	4.80	8.12	
9	Champawat	MDR	PWD					
10	Bageshwar	MDR	PWD	50.50	0.00	0.00	0.00	
11	Almora	MDR	PWD	160.18	65.00	17.00	48.00	
12	Nainital	MDR	PWD	92.63	21.00	0.00	21.00	
13	U.S. Nagar	MDR	PWD	106.15	0.00	0.00	0.00	
				2113.17	**464.97**	**232.30**	**232.67**	**DPR in Progress**

1	Dehradun	ODR	PWD	277.75	0.00	0.00	0.00	
2	Haridwar	ODR	PWD	99.60	0.00	0.00	0.00	
3	Gopeshwar	ODR	PWD	246.13	87.20	36.42	50.78	
4	Rudraprayag	ODR	PWD	85.31				
5	Uttarkashi	ODR	PWD	56.40	20.00	4.00	16.00	
6	Tehri	ODR	PWD	331.30	38.60	22.60	16.00	
7	Pauri	ODR	PWD	588.07	82.13	0.60	81.53	
8	Pithoragrah	ODR	PWD	60.58	29.00	4.00	25.00	
9	Champawat	ODR	PWD	15.01				
10	Bageshwar	ODR	PWD	121.82	39.00	19.00	20.00	
11	Almora	ODR	PWD	596.48	182.00	182.00	0.00	

12	Nainital	ODR	PWD	156.11	0.00	0.00	0.00	
13	U.S. Nagar	ODR	PWD	80.02	1.00	1.00	0.00	
				2714.60	478.93	269.62	209.31	DPR in Progress
Grand Total				9344.68	2040.10	1046.40	593.70	

एनएच– उत्तराखण्ड मे एनएच के अधीन वर्तमान मे कुल 2091 कि0मी0 मार्गो के सापेक्ष कुल 793.60 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने हेतु सत्यापन किया गया। जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2019 तक 481.90 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित कर दिये गये है। अवशेष 311.69 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर वर्ष 2020 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। जनपदवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

	NH						0.00	
8	Champawat6	NH PWD	PWD		129.40	39.32	90.08	
9	Almora	NH PWD	PWD		48.00	35.00	13.00	
10	Bageshwar	NH PWD	PWD		12.00	6.00	6.00	
11	Nainital	NH PWD	PWD		25.00	22.98	2.02	
12	Nainital/U.S. Nagar/Almora	NH PWD	PWD		17.00	4.40	12.60	
		Total		**2091.34**	**809.40**	**634.86**	**174.54**	
		Grand Total		**2091.34**	**2849.50**	**1681.26**	**1168.24**	**DPR in Progress**

एनएचएआई– उत्तराखण्ड मे एनएचएआई के अधीन वर्तमान में कुल 380.00 कि0मी0 मार्गो के सापेक्ष कुल 22.49 किलोमीटरों मे क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने हेतु सत्यापन किया गया। जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2019 तक 7.99 किलोमीटरों मे क्रैश बैरियर स्थापित कर दिये गये है। अवशेष 14.50 किलोमीटरों मे क्रैश बैरियर वर्ष 2020 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। जनपदवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

Crash Barriers							
1	PIU Dehradun Haridwar/Dehradun/ Haridwar	NHAI		18.00	3.50	14.50	
2	PIU Rudrapur Rampur/U.S.Nagar/Champawat,U.S.Nagar	NHAI		4.50	4.5	0.00	
3	PIU Najibabad Haridwar/U.S.Nagar	NHAI		0.00	0.00	0.00	
		Total	**2091.34**	**22.50**	**8.00**	**14.50**	

एनएचआईडीसीएल / बीआरओ– उत्तराखण्ड मे एनएचएआई के अधीन वर्तमान में कुल 100+383=483 कि0मी0 मार्गो के सापेक्ष कुल 120.00 किलोमीटरों मे क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने हेतु सत्यापन किया गया। क्रैश बैरियर वर्ष 2020 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है।

जनपदवार सूचना अप्राप्त।

		a) Verify whether all locations where crash barriers are required on MDRs/SHs/NHs have been identified by all road owning agencies.	a) उपरोक्तानुसार।
		b) Monitor and ensure that road owning agencies adhere to the targets set by them. In case the road owning agencies fail to install crash barriers by 2020 as per target set by them, the Lead Agency should bring it to the notice of the Committee.	b) उपरोक्तानुसार।
		c) Motitor the crash barriers installed on 1311.53 Kms to check whether they conform to IRC standards and are being property maintained.	c) उपरोक्तानुसार 1021.63+481.90+7.99=1511.52 किलोमीटरों में क्रैश बैरियर आईआरसी0 मानकों के अन्तर्गत स्थापित किये गये है, जो ठीक अवस्था मे है। जिसकी मोनिटरिंग लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है।

XIV	Maintenance of bridges	The Committee notes that all bridges under PWD and BRO are safe and do not require repairs etc; that work is in progress on 41 (out of 107) bridges under NHAI; and thad PWD (NH) and NHIDCL have not yet intimated the number of bridges required to be replaced/repaired. The Committee directs that the Lead Agency should tsake following action:	लो0नि0वि0–उत्तराखण्ड राज्य में लो0नि0वि0 के अधीन सभी सेतुओं का निरीक्षण प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व माह मई–जून तथा वर्षा ऋतु के पश्चात माह अक्टूबर–नवम्बर में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा पूर्व में निर्धारित वार्षिक प्रोग्राम के अन्तर्गत लगातार किया जा रहा है, तथा निरीक्षण के दौरान सेतुओं मे आवश्यक रिपेयरिंग आदि के कार्य पूर्ण किये जाते हैं। मानसून से पूर्व समस्त 823 मोटर सेतुओं का निरीक्षण किया गया है, जिसमें किसी भी सेतु को असुरक्षित नहीं पाया गया है, कुछ सेतुओं के माइनर सुधारात्मक / वार्षिक अनुरक्षण कार्य IRC मानकों के अनुरूप प्रगति पर है। एन0एच0–उत्तराखण्ड राज्य में गढ़वाल मण्डल में एन0एच0 के अधीन मार्गों पर स्थित 227 सेतुओं का निरीक्षण किया गया है। सभी सेतु सुरक्षित पाये गये है, जिनमे एक सेतु पर सुधारात्मक कार्य किया जाना है, जिस हेतु डी0पी0आर कार्य प्रगति पर है। एनएचआईडीसीएल–एनएचआईडीसीएल द्वारा कुल 30 सेतुओं के लोकेशन की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु सेतुओं की सुरक्षित / असुरक्षित होने का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। बीआरओ–बीआरओ द्वारा कुल 44 सेतुओं के लोकेशन की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें सभी सेतु सुरक्षित हैं। एनएचएआई–एनएचएआई के अधीन मार्गों पर कुल 107 सेतुओं का विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत मानसून से पूर्व निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी सेतु सुरक्षित है।
		a) Verify whether all bridges,which are required to be replaced or repaired, have been identified by road owning agencies.	a) उपरोक्तानुसार।
		b) Identify, in consultation with the concerned road owning agencies, all such bridges under PWD (NH) and NHIDCL as are required to be replaced/repaired.	b) उपरोक्तानुसार।
		c) Draw timelines, in consultation with concerned road owning agencies for (a) replacement of existing bridges which are beyond repairs; and (b) repair of repairable bridges.	c)..(a) उपरोक्तानुसार, कोई भी सेतु बदलने अथवा पुनःनिर्माण की अवस्था में नही पाये गये है। (b) उपरोक्तानुसार, एनएच के अधीन मात्र एक सेतु जिस पर सुधारात्मक कार्य किया जाना है, जिस हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य वर्ष 2020 निर्धारित कर लिया गया है।
		d) Ensure that all road owning agencies including NHAI prepare and implement traffic management plan for all bridges which are under construction or repairs.	(d) समस्त निर्माणदायी संस्थाओं को मार्गो पर स्थित सेतुओं के नवनिर्माण के समय ही ट्रैफिक मैनेजमेन्ट प्लान तैयार कर सेफ्टी मेजर्स स्थापित किये जाने तथा पूर्व निर्मित सेतुओं पर आवश्यक ट्रैफिक मैनेजमेन्ट प्लान के अनुसार सेफ्टी मेजर्स स्थापित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1606 / 76याता0 (क) / 2019 दि0 25.11.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

XV	Audit of all vulnerable road segments. rectificatin as per audit report and monitoring.	The Committee notes that 1495 Kms (out of 12278 Kms) road length has been audited and desires that the State should focus on audit of all vulnerable road segments in the State and that the Lead Agency should take following action: a) Monitor 107 rectified vulnerable road segments to check efficacy of rectification. b) Verify whether road owning agencies have identified all vulnerable road segments (in addition to Black Spots) on NH (NHAI), NH (PWD), SHs and MDRs. c) Draw timelines in consultation with concerned road owning agencies for initiation and completion of road safety audit of the remaining 1393 vulnerable road segments under intimation to the Committee. Lead Agency should also monito and ensure implementation of recommendations of the audit.	उत्तराखण्ड लो०नि०वि० के अधीन एसएच, एमडीआर एवं ओडीआर श्रेणी की समस्त मार्गों की लम्बाई वर्तमान में 9345 कि०मी० है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2019 तक 2383.85 किलोमीटरों में रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 6961.65 किलोमीटरों के विरूद्ध 972.205 किलोमीटर पर यूएसएचआईपी 2019 के अन्तर्गत pre-road safety audit का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा अवशेष 6961.65-972.205=5989.45 किलोमीटरों मे वर्ष 2020 तक रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में लो०नि०वि० के अधीन एसएच, एमडीआर एवं ओडीआर श्रेणी की समस्त मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 1157 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2019 तक 399 स्थलों का सुधारीकरण कर लिया गया है, एवं अवशेष 758 पर वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में एनएच के अधीन समस्त मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 336 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2019 तक 154 स्थलों का सुधारीकरण कर लिया गया है, एवं अवशेष 182 पर वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में एनएचएआई के अधीन समस्त मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 50 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2019 तक 35 स्थलों का सुधारीकरण कर लिया गया है, एवं अवशेष 15 पर वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में बीआरओ के अधीन समस्त मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 46 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में टीएचडीसी के अधीन मार्गों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 03 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। a) लो०नि०वि० के अधीन 107 दुर्घटना सम्भावित स्थलो का सुधारीकरण पूर्व में किया गया था, जिसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 399 हो गई है। अतः 399 दुर्घटना सम्भावित स्थलो का सुधारीकरण दिसम्बर 2019 तक कर लिया गया है। जिस पर लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। b) उपरोक्तानुसार। c) अवशेष 1004 दुर्घटना सम्भावित स्थलों का रोड सेफ्टी ऑडिट एवं सुधार कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य वर्ष 2020 निर्धारित कर लिया गया है।

xvi			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xvii			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xviii			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xix			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xx			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xxi			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xxii			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।
xxiii			लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित है।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0 राजमार्ग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही है, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2020 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0 राजमार्ग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही है, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2020 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

4– रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही है, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2020 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

5– श्री ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सडक सुरक्षा समिति, 10वां रा0राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

6– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में upload करने हेतु।

31.1.2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष